

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में वर्चुअल रूप से जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा समस्या निस्तारण हेतु सम्बन्धित को मौके पर निर्देशित किया गया-

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा आज दिनांक 07.09.2023 को पुलिस कार्यालय, महोबा में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व थानों के दिवसाधिकारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअली जनसुनवाई की गई।

जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए वर्चुअल रूप से जुड़े हुए अधिकारियों को मौके पर निर्देशित किया गया।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।



थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.09.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह नेतृत्व में गठित टीम, उ0नि0 शेरे आलम खाँ द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान 01 नफर अभियुक्त कमला पुत्र हल्के उम्र करीब 47 वर्ष निवासी ग्राम मामना थाना कोतवाली नगर जिला महोबा को माननीय न्यायालय सि0ज0(जू0डि0)एफ0टी0सी0/महिला महोबा के द्वारा जारी परिवार सं0 185/2021 सीसीन0 189/2016 धारा 498ए/323 भादवि व 4 डीपीएक्ट में ग्राम मामना महोबा से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त व अपराधिक विवरण:-

कमला पुत्र श्री हल्के उम्र करीब 47 वर्ष निवासी ग्राम मामना थाना कोतवाली नगर जिला महोबा माननीय न्यायालय सि0ज0(जू0डि0)एफ0टी0सी0/महिला महोबा के द्वारा जारी परिवार सं0 185/2021 सीसीन0 189/2016 धारा 498ए/323 भादवि व 4 डीपीएक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 शेरे आलम खाँ प्रभारी चौकी मनियादेव थाना कोतवाली नगर महोबा
2. कां0 विनोद कुमार गौतम
3. कां0 धर्मेन्द्र कुमार



थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.09.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह नेतृत्व में गठित टीम, निरीक्षक अपराध श्री गोपालचन्द्र कन्नौजिया के द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 411/2023 धारा 363/377/504/506 भादवि व 6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त बिरजू पुत्र प्रेम लाल अहिरवार उर्फ कल्लू उम्र 30 वर्ष निवासी बसरिया पुरवा फतेहपुर बजरिया थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा को बिलवई चुंगी फतेहपुर बजरिया से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक विवरण:-

अभियुक्त बिरजू पुत्र प्रेम लाल अहिरवार उर्फ कल्लू उम्र 30 वर्ष निवासी बसरिया पुरवा फतेहपुर बजरिया थाना कोतवाली नगर महोबा जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक अपराध गोपालचन्द्र कन्नौजिया थाना कोतवाली नगर महोबा
2. कां0 नीतेश कुमार कुशवाहा



थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने फर्जी फिंगर प्रिंट बनाकर रुपयों की हेराफेरी करने वाले

02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 07.09.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी चरखारी, जनपद महोबा के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित हुई पुलिस टीम ने फर्जी फिंगर प्रिंट बनाकर रुपयों की हेराफेरी के सम्बन्ध में थाना श्रीनगर में पंजीकृत हुये मु0अ0सं0 103/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1. चंचल उर्फ चन्द्रिका प्रसाद सेन पुत्र अनन्तराम सेन उम्र 35 वर्ष व 2. अंजना पत्नी चंचल उर्फ चन्द्रिका प्रसाद सेन उम्र 27 वर्ष निवासीगण ग्राम भण्डरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा को ग्राम भण्डरा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया; बाद गिरफ्तारी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

अपराध विवरण:-

मु0अ0सं0 103/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. श्री प्रवीण कुमार सिंह, थानाध्यक्ष श्रीनगर, जनपद महोबा।
2. व0उ0नि0 कन्हैयालाल
3. हे0 का0 सूरज सिंह चौहान 4. म0 का0 पूर्णिमा पटेल

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. चंचल उर्फ चन्द्रिका प्रसाद सेन पुत्र अनन्तराम सेन उम्र 35 वर्ष
2. अंजना पत्नी चंचल उर्फ चन्द्रिका प्रसाद सेन उम्र 27 वर्ष

निवासीगण ग्राम भण्डरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा



थाना खन्ना की पुलिस टीम ने 90 क्वार्टर अवैध देशी गिरफ्तार करने वाली टीम:-

शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा व श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री उमेश कुमार कुशवाहा द्वारा उ.नि. चेताराम के नेतृत्व में गठित की गयी पुलिस टीम ने दिनांक 06.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर बहिंगा खम्हरिया मार्ग पर अधवनी पुलिया के पास बहद ग्राम खम्हरिया के पास से अभियुक्त अंकित यादव पुत्र जयराम उम्र 24 वर्ष निवासी रिवाई थाना कबरई जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से देशी शराब ठेका झूम ब्रान्ड के 90 क्वार्टर नाजायज बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना खन्ना में मु0अ0स0 89/2023 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

1. उ0नि0 चेताराम
2. का0 राजेश कुमार
3. का0 सोनू खान



बरामदगी का विवरण:-

90 अदद क्वाटर देशी शराब झूम ब्रान्ड नाजायज

श्रीकृष्णजन्माष्टमी एवं चेहल्लुम पर्व के दौरान जनपद में शान्ति/कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्ति-वस्तु व वाहनों की, की गयी सघन चेकिंग, पैदल गस्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा का दिलाया गया भरोसा।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर त्यौहार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी / चेहल्लुम को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जनपद में सुरक्षा/शान्ति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु आज दिनांक 07.09.2023 को जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष/ चौकी प्रभारी द्वारा मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं कालीन फ्लैग मार्च/पैदल गश्त की जा रही है।

पैदल गश्त के दौरान जनपदीय पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों/ कस्बों/ बस अड्डा/ सार्वजनिक स्थानों/ प्रमुख चौराहों/ प्रमुख बाजारों/ मन्दिर/ शापिंग मॉल/ प्रमुख मार्गों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग कर आवश्यक हिदायत दी गयी। जनपद महोबा पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। यातायात नियमों के उल्लंघन में वाहनों के ई-चालान किये गये।



महोबा पुलिस